अंक : 20 सहयोग शुल्क : रु.1 अगस्त 2018

दिव्यांग सेतु

संपादक : - संतश्री ॐऋषि प्रितेशभाई

ॐकार फाउन्डेशन ट्रस्ट

'ॐकार दिव्यांग यूनिवर्सिटी' दिव्यांगजनों की उम्मीदों की नई उड़ान का सपना लेकर आएगी |
~ संतश्री ॐऋषि प्रितेशभाई

दिव्यांगजनों के लिए काम करती संस्थाओं के लिए मेरे हृदय में हमेशा से आदर रहा है |
~ प्रधानमंत्री, नरेन्द्र मोदी

निरामय हेल्थ पॉलिसी

पात्रता

- केन्द्र सरकार द्वारा चलाई जा रही यह पॉलिसी सेरेब्रल, पाल्सी, ऑटिज्म, मेन्टल रिटार्डेशन, मल्टिपल डिसेबिलिटीसे असरग्रस्त दिव्यांगो को मिल सकती है।
- ४०% अथवा उससे अधिक दिव्यांगता से असरग्रस्त व्यक्ति को इस पॉलिसी का लाभ मिल सकेगा।
- रू. २५०/- बी.पी.एल. एवं रु.५००/- ए.पी.एल. दिव्यांगो के लिए सिंगल प्रीमियम

लाभ

रु. १,००,०००/- तक का इंश्योरेंस मिल सकता है।
(निर्धारित किए हुए फंड के अनुसार)

यह प्रीमियम ॐकार फाउन्डेशन द्वारा भरा जाएगा

आवेदन-पत्र के साथ जमा किए जाने वाले प्रमाण-पत्र/दस्तावेज

सिविल सर्जन का दिव्यांगता दर्शाता प्रमाण-पत्र

(ऊपर बताई गई चार बीमारियों में से किसी भी एक का उल्लेख प्रमाण-पत्र में जरुरी है)

- वर्तमान की पासपोर्ट साइज़ फोटो
- राशनकार्ड की प्रमाणित कोपी
- निवास स्थान का प्रमाण (राशनकार्ड अथवा वोटिंग कार्ड)
- बी.पी.एल. कार्ड (यदि बी.पी.एल. में आते हैं तो)
- बैंक पासबुक की फोटो कोपी (बैंक ISFC कोड के साथ)

संपादकीय

दिव्यांग सेतु के प्रिय पाठकों,

आपका इस पत्रिका के प्रति स्नेह देखकर मन भावविभोर हो रहा है। हम हर महीने कुछ न कुछ नयापन लाने की कोशिश करते रहते है। इस बार भी हमने कुछ अनोखी माहिती आपके सामने प्रस्तुत की है। आशा है की आप जरूर सराहेंगे।

मैं जानता हूँ की एक दिव्यांग व्यक्ति के लिए अपने जीवन में कितनी सारी बाधाएं रहती है। बहोत सारी दिक्कतें झेलनी पड़ती है। इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने एक पहल करने का निश्चय किया है।

मेरा ऐसा भाव है कि एक 'दिव्यांग युनिवर्सिटी' का निर्माण हो, जिसमें आने वाले सालों में दिव्यांगो के लिए सेवा का कार्य कर, हम मनुष्य होने का ऋण कुदरत को चुकाए।

'ॐकार दिव्यांग यूनिवर्सिटी' में दिव्यांगो के लिए आवास-शिक्षण-रोजगार-हॉस्पिटल जैसी विभिन्न सुविधाए उपलब्ध की जाएगी। दिव्याँगजनों को लेकर वर्षों से जो सपना हमने अपनी आंखों में सजाकर रखा था, उस सपने को अब उसका आसमान मिलने वाला है। यदि इस पहल में निजी संस्थाएं और संगठन बढ़-चढ़कर हिस्सा लें तो दिव्याँगजनों के भविष्य को और भी अधिक सुदृढ़ता प्रदान की जा सकती है। साथ ही उन्हें सामान्य लोगों की तरह जीवन जीने के लिए प्रेरित किया जा सकता है।

दिव्यांग ताकत को और मजबूताई की ओर ले जाने के संकल्प के साथ, धन्यवाद प्रार्थी।

दिव्यांग सेतु

मासिक पत्रिका

अगस्तः 2018, पृष्ठ संख्या : 16
वर्ष : 02 अंक : 08

प्रेरणास्त्रोत और संपादक

संतश्री ॐऋषि प्रितेशभाई

सह-संपादक

मिहिरभाई शाह

मो. 97241 81999

संपर्क-सूत्र

सेवा समर्पण फाउन्डेशन

ॐकार फाउन्डेशन ट्रस्ट (NGO)

Trust Reg. No. : E/20646/Ahmedabad

००१, ग्राउण्ड फ्लोर, आंगी एपार्टमेन्ट,

अन्नपूर्णा पार्टी प्लाट के सामने,

नया विकासगृह रोड, पालडी,

अहमदाबाद - ३८०००९

मो. 99749 55365, 9974955125

मुद्रक

प्रिन्ट विज़न प्रा. लि.

आंबावाडी बजार, अहमदाबाद-6

079 26405200

दिव्यांग एक्ट लागू करने में देरी पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई सरकार को फटकार

सार्वजनिक स्थानों और संस्थाओं को दिव्यांगों के लिए सुविधाजनक बनाने के गत वर्ष के आदेश पर अमल न होने पर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि, सरकार आप चला रहे हैं, हम नहीं। दिव्यांग एक्ट लागू करना आपकी जिम्मेदारी है। कोर्ट छह-सात महीने पहले आदेश दे चुका है लेकिन अब तक कुछ नहीं बदला। कोर्ट ने अदालतों को दिव्यांगों के लिए सुविधाजनक बनाने की मांग पर सभी उच्च न्यायालयों और सुप्रीम कोर्ट के सेक्रेटरी जनरल को भी नोटिस जारी किया है।

न्यायमूर्ति ए.के. सीकरी व अशोक भूषण की पीठ ने सार्वजनिक स्थलों को दिव्यांगों के लिए सुविधाजनक बनाए जाने के मामले में सुनवाई की। पीठ ने कहा कि उन्होंने गत वर्ष 15 दिसंबर के आदेश में कुछ नया नहीं कहा था। कोर्ट ने सिर्फ सरकार के बनाए कानून को लागू करने को कहा था। कानून लागू करना सरकार का काम है। कोर्ट ने केंद्र सरकार को चार सप्ताह में विस्तृत हलफनामा दाखिल कर इस दिशा में हुए काम और उसे पूरा करने की समयसीमा का ब्योरा देने को कहा है।

केंद्र की ओर से पेश ए.एस.जी. पिंकी आनंद ने कोर्ट से कहा कि वे हलफनामा दाखिल कर ब्योरा पेश करेंगी। कोर्ट के आदेश के मुताबिक काफी काम हुआ है। दूसरी ओर, राज्यों द्वारा भी आदेश पर अमल न किए जाने पर कोर्ट ने नाराजगी जताई। कोर्ट ने राज्यों को चेतावनी दी कि अगर उन्होंने आदेश का पालन नहीं किया तो उनके मुख्य सचिवों को कोर्ट में बुलाकर देरी का कारण पूछा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में एक नई याचिका दाखिल हुई है, जिसमें अदालतों को दिव्यांगों, विशेषकर नेत्रहीनों के लिए सुविधाजनक बनाए जाने की मांग की गई है। कोर्ट ने इस याचिका पर सभी उच्च न्यायालयों के रजिस्ट्रार जनरल और सुप्रीम कोर्ट के सेक्रेटरी जनरल को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने गत वर्ष 15 दिसंबर को 11 दिशानिर्देश जारी किए थे, जिनमें सार्वजनिक स्थलों, संस्थानों, परिवहन और शिक्षण संस्थाओं आदि को दिव्यांगों के लिए सुविधाजनक बनाने के निर्देश दिए गए थे। कोर्ट ने कहा था कि सभी सरकारी इमारतें जहां पब्लिक सर्विस मुहैया कराई जाती है, उन्हें दिव्यांगों के लिए सुविधाजनक बनाया जाए। कोर्ट ने इन इमारतों को दिव्यांगों को अधिकार देने के कानून के मुताबिक जून, 2019 तक दिव्यांगों के लिए सुविधाजनक बनाने का निर्देश दिया था।

वॉइस फॉर
दिव्यांग

लंदन में होने वाले दिव्यांग क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम की तैयारियां चरम पर: पीसीसीएआई

अब सामान्य क्रिकेट खिलाड़ियों की तर्ज पर भारत के दिव्यांग क्रिकेट खिलाड़ी भी अगले वर्ष लंदन में 16 जुलाई से शुरू होने वाले विश्व कप मे अपने जौहर दिखाते नजर आएंगे। इंग्लैंड के लंदन में होने वाले दिव्यांग क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंग्लैंड, नेपाल, जिम्बाव्वे, न्यूजीलैंड सहित कुल सात टीमें हिस्सा लेंगी।

अब सामान्य क्रिकेट खिलाड़ियों की तर्ज पर भारत के दिव्यांग क्रिकेट खिलाड़ी भी अगले वर्ष लंदन में 16 जुलाई से शुरू...

यह बात गुरुवार के दिन भिवानी में फिजिकल चैलेंज्ड क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ इंडिया (पीसीसीएआई) के चेयरमैन विधायक घनश्याम सर्राफ, अध्यक्ष सुरेंद्र लोहिया व एसोसिएशन के महासचिव रवि चौहान ने कही। उन्होंने बताया कि इस प्रतियोगिता के लिए भारतीय टीम अपनी तैयारियों में जुट गई है। भावी क्रिकेट प्रतियोगिताओं के लिए पीसीसीएआई ने भिवानी में अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग कर भविष्य में होने वाली प्रतियोगिताओं की रूपरेखा भी तैयार की। उन्होंने बताया कि भिवानी के भीम स्टेडियम खेल मैदान में फिजिकल चैलेंज्ड क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ इंडिया (पीसीसीएआई) द्वारा अगस्त के प्रथम सप्ताह में दो दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन भी करवाया जाएगा। यह प्रतियोगिता दिव्यांगों को समर्पित रहे पीसीसीएआई के प्रोजेक्ट चेयरमैन स्व.जे.पी. मलिक ट्रॉफी के नाम से रहेगी। इस प्रतियोगिता में उत्तर प्रदेश, दिल्ली व हरियाणा सहित तीन राज्यों की टीमें हिस्सा लेंगी। चेयरमैन घनश्याम दास सर्राफ ने बताया कि इस संबंध में हरियाणा के खेल मंत्री अनिल विज दिव्यांग खिलाड़ियों के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक लेने वाले दिव्यांग खिलाड़ियों को सामान्य खिलाड़ियों की तर्ज पर सम्मान व धनराशि देने की बात कह चुके हैं।

एसोसिएशन के महासचिव रवि चौहान ने बताया कि पीसीसीएआई निरंतर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया के संपर्क में है। बीसीसीआई ने दिव्यांग क्रिकेट एसोसिएशन से जुड़े खिलाड़ियों को अपने साथ जोड़ने के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है। जल्द ही दोनों संस्थाएं मिलकर दिव्यांग खिलाड़ियों के कल्याण के लिए काम करती नजर आएंगी। उन्होंने बताया कि आज देश के 23 राज्यों के दिव्यांग क्रिकेट एसोसिएशन का राज्य स्तर पर गठन हो चुका है। पीसीसीएआई के अध्यक्ष सुरेंद्र लोहिया ने कहा कि विश्व कप के लिए पीसीसीएआई की चीफ पैटर्न नीलम अग्रवाल भी प्रयास में हैं कि दिव्यांगों का विश्व कप हो,जिसके लिए वे दुबई में जल्द ही अन्य देशों के प्रतिनिधियों के साथ विशेष बैठक करने जा रही हैं।

दिव्यांग को चुनें हमसफर, सरकार भी देगी आशीर्वाद...

महज शरीर के किसी अंग के क्रियाशील न होने या स्थायी रूप से खराबी होने पर दिव्यांग को उपेक्षित मान लिया जाता है। लेकिन ऐसे दिव्यांगों को जीवनसाथी चुनने पर अब सरकार भी आशीर्वाद देगी। यह आशीर्वाद खुशियों की कामना के साथ ही आर्थिक रूप से भी समृद्ध करेगा। यानी नकद पुरस्कार मिलेगा। विवाह पंजीकरण के साथ विकास भवन में आवेदन करने पर यह लाभ हासिल किया जा सकता है।

फर्जीवाड़ा रोकने को विवाह पंजीकरण अनिवार्य

न यह योजना नई है और न सरकार की पहल, हां अब सरकार ने फर्जीवाड़ा करने वालों पर नकेल जरूर कस दी। अब तक महज शादी के कार्ड, फोटो के साथ विभाग में उपस्थित होकर ही पुरस्कार राशि जारी कर दी जाती थी। न वर-वधू का सत्यापन और न विवाह की प्रमाणिकता थी। सरकार ने अब आवेदन के साथ ही विवाह पंजीकरण पत्र अनिवार्य कर दिया है। १ अप्रैल, २०१७ के बाद विवाह पंजीकरण के साथ आवेदन करने वाले ही पात्र माने जाएंगे। पांच अगस्त तक आवेदन किए जा सकते हैं।

पुरस्कार की श्रेणियां

- वर के दिव्यांग होने पर : 15 हजार रुपये
- वधू के दिव्यांग होने पर : 20 हजार रुपये
- वर-वधू दोनों के दिव्यांग होने पर : 35 हजार रुपये
- जिले में दिव्यांजन : 35 हजार
- दिव्यांग पेंशन लाभार्थी : 22,600

योजना में कई फार्म प्राप्त हुए, लेकिन इनमें विवाह पंजीकरण का प्रमाणपत्र न नहीं हैं। इनसे पंजीकरण पत्र भी मांगे गए हैं। बिना इसके पात्र नहीं माना जा सकता।

-कृष्णपाल सिह, जिला दिव्यांग जन सशक्तिकरण अधिकारी।

उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिला प्रशासन द्वारा लिया गया यह कदम बहोत ही सराहनीय है|

दिल्ली सरकार दिव्यांगों की सुविधा के लिए स्टैंडर्ड फ्लोर बसों में हाईड्रोलिक लिफ्ट लगाने पर विचार

दिल्ली सरकार ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में जानाकारी दी है कि स्टैंडर्ड फ्लोर बसों को दिव्यांगों के लिए सुविधाजनक बनाने के लिए सरकार हाइड्रोलिक लिफ्ट लगाने पर विचार कर रही है।

इससे पहले कोर्ट ने सरकार से पूछा था कि जब ये स्टैंडर्ड फ्लोर बसें दिव्यांगों के अनुकूल नहीं हैं तो फिर सरकार इन्हें क्यों लेना चाहती है।

पीठ ने कहा, 'ऐसी लो फ्लोर बसें क्यों नहीं खरीदी जा रहीं हैं, जो दिव्यांगों के अनुकूल हों।'

जिसके बाद दिल्ली सरकार और डीटीसी के वकील ने कहा कि उनकी परिवहन मंत्री से बात हुई है। उन्होंने बताया है कि सरकार के द्वारा 500 अतिरिक्त लो फ्लोर बसें खरीदी जाएंगी जो दिव्यांगों के अनुकूल होंगी।

दिल्ली सरकार की ओर से मौजूद वकील ने कोर्ट में कहा कि वह नई स्टैंडर्ड बसों में ही हाईड्रोलिक लिफ्ट की सुविधा देना चाहते हैं, ताकि उसे दिव्यांगों की सुविधा के अनुसार बनाया जा

सके।

बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट ने नई स्टैंडर्ड बसों की खरीदारी की प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी। इसके बाद दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में इसकी मंजूरी दिए जाने के लिए अर्जी दी थी।

न्यायमूर्ति ए.के. सीकरी और न्यायमूर्ति अशोक भूषण की खंडपीठ ने इस बारे में सरकार से हलफनामा मांगा है।

दिव्यांग व्यक्तियों के लिए यूडीआईडी पोर्टल पर बनाए जा रहे है विशेष कार्ड

दिव्यांग व्यक्तियों के लिए यूडीआईडी पोर्टल पर विशेष कार्ड बनाए जा रहे है, जो कि पूरे भारत में मान्यता प्राप्त होंगे। यह जानकारी एडिशनल डिप्टी कमिश्नर डॉ. शेना अग्रवाल ने दी। उन्होंने बताया कि प्रत्येक दिव्यांग लाभपात्री जो कि निर्धारित दिव्यांग की प्रतिशतता (50 फीसदी) पूरी करता है, अपने स्तर पर या जिला समाजिक सुरक्षा ओफिसर, जिला प्रोग्राम आफिसर, प्राइमरी स्कूल, हाई स्कूल, आंगनबाड़ी वर्कर की मदद से यूडीआईडी योजना से रजिस्टर करा सकते हैं, ताकि उन्हें इस योजना का लाभ दिया जा सके। इस संबंधी विशेष मीटिंग के दौरान डॉ. शेना अग्रवाल ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को हिदायत की कि वह अपने स्कूलों के कंप्यूटरों का इस्तेमाल करके लाभार्थियों को रजिस्टर करें। जिला प्रोग्राम ओफिसर को कहा गया कि समूह बाल विकास तथा सुरक्षा अफसरों व आंगनबाड़ी वर्करों को हिदायत जारी की कि वह हर गांव में पैनशन ले रहे दिव्यांग लाभपात्रियों को स्कूल में साथ ले कर जाए तथा उनका रजिस्टर करवाएं। इस प्रोजेक्ट को पहल के आधार पर पूरा करने के लिए कहा गया। जिला समाजिक सुरक्षा आफिस हरमेश सिंह ने कहा कि सेहत विभाग की ओर से मेडिकल सर्टिफिकेट तथा यूडीआईडी स्मार्ट कार्ड बनाने के लिए अपने स्तर पर ही रजिस्टर किया जा रहा है तथा मेंटली रिटायर्ड होम तथा गैर सरकारी संस्थाओं में भर्ती दिव्यांग पात्रों के भी यह कार्ड बनाने के लिए कार्रवाई की जा रही है। इस मीटिंग में अन्य अलावा संबंधित विभागों के उच्च अधिकारी भी मौजूद रहे।

भारत की सबसे पहली दिव्यांग यूनिवर्सिटी

विशेषताएं

- शिक्षण
- रोजगार
- स्वावलंबन
- कौशल विकास
- समानता
- समाविष्टता

दिव्यांगों के प्रति लोगों द्वारा व्यक्त सहानुभूति कई तरह की होती है। कुछ मामलों में सहानुभूतिवश दिव्यांगों के प्रयत्नों की अतिरंजित सराहना कर दी जाती है तो कुछ मामलों में उनकी क्षमताओं का बेहद कम आकलन कर सहानुभूति जताई जाने लगती है। ये दोनों तरीके दिव्यांग व्यक्तियों के मन-मस्तिष्क पर बेहद प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं।

दिव्यांगजनों की हमारे समाज में क्या स्थिति है तथा उनके प्रति समाज की क्या मानसिकता है? दरअसल, न केवल भारत में बल्कि समूची दुनिया में एक समय तक दिव्यांगता को सिर्फ चिकित्सा संबंधी समस्या समझा जाता था, लेकिन उस समय के दिव्यांग व्यक्तियों द्वारा जिस तरह से जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में सफलता के नए सोपान गढ़े गए, उन्होंने समाज की मानसिकता

को बदलने का काम किया। समाज ने समझा कि दिव्यांगता सिर्फ व्यक्ति की कुछ शक्तियों को सीमित कर सकती है, उसकी प्रगति की समस्त संभावनाओं को अवरुद्ध नहीं कर सकती। आवश्यकता सिर्फ इतनी है कि दिव्यांगजनों को उचित संबल, समान अवसर और समुचित सहयोग प्रदान किया जाए। पर विडंबना यह है कि दिव्यांगों को कौशलयुक्त कर रोजगार-योग्य बनाने के सरकार के तमाम प्रयासों के बावजूद देश की अधिकांश दिव्यांग आबादी आज भी रोजगारहीन होकर जीने को विवश है। एक आंकड़े पर गौर करें तो देश की कुल दिव्यांग आबादी में से लगभग 1.34 करोड़ लोग 15 से 59 वर्ष की आयु अर्थात् उत्पादक आयु वर्ग के हैं, लेकिन इनमें से तकरीबन 99 लाख लोग अब भी बेरोजगार या सीमांत कार्मिक हैं। पहले से ही कई तरह की परेशानियां उठा रहे लोगों को आर्थिक असुरक्षा और मुश्किल में डाल देती है। इस स्थिति के पीछे कई कारण जिम्मेदार हैं। पहला और सबसे महत्त्वपूर्ण कारण तो यह है कि सरकार द्वारा संचालित उपर्युक्त समस्त योजनाओं-कार्यक्रमों की पहुंच शहरों तक है, जब कि 2011 की जनगणना के अनुसार यदि आकलन करें तो देश की अधिकांश दिव्यांग आबादी गांवों में होने की संभावना है। एक अन्य समस्या दिव्यांगो को दिए जा रहे कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम में गुणवत्ता के अभाव की है। साथ ही, बहुत सारी जगह तो ये प्रशिक्षण सिर्फ कागजों पर होकर रह जाते हैं। कहीं अधकचरा प्रशिक्षण दिया जाता है, तो कहीं बस औपचारिकता पूरी की जाती है।

कहने का अर्थ है कि दिव्यांगों को सामाजिक-आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए विभिन्न योजनाएं व कार्यक्रम चलाए तो जा रहे हैं, पर उनके क्रियान्वयन में अभी कई समस्याएं हैं, जिनसे पार पाने की जरूरत है।

वैसे, दिव्यांगों के प्रति समस्त दायित्व केवल सरकार के नहीं हैं, बल्कि हमारे समाज को भी उनके प्रति अपनी मानसिकता को तनिक और संवेदनशील, सहयोगी और सजाग करने की आवश्यकता है। यह सही है कि समाज में अधिकतर लोग दिव्यांगों के प्रति सहयोगी भावना रखते हैं, पर तमाम लोग इन सहयोगों में न केवल दया का भाव मिला देते हैं, बल्कि उसका प्रदर्शन भी कर देते हैं, जिससे दिव्यांगों के मन में हीन ग्रंथि पैदा

होती है। इसके फलस्वरूप वे सहजता से सबके साथ घुलने-मिलने के बजाय स्व-केंद्रित होने लगते हैं।

दरअसल, सहानुभूति की भावना को समाज में एक अच्छी भावना के रूप में स्थान मिला हुआ है और कुछ स्थितियों में यह अच्छी होती भी है, पर जब किसी ऐसे व्यक्ति के प्रति, जो आत्मविश्वास अर्जित करने का प्रयत्न कर रहा हो, इस तरह की भावना दिखाई जाती है तो यह उसके प्रयत्नों को क्षति पहुंचाने का ही कार्य करती है। दिव्यांगों के संदर्भ में सहानुभूति के भाव का यही प्रभाव होता है।

दिव्यांगों के प्रति लोगों द्वारा व्यक्त सहानुभूति कई तरह की होती है। कुछ मामलों में सहानुभूतिवश दिव्यांगों के प्रयत्नों की अतिरंजित सराहना कर दी जाती है तो कुछ मामलों में उनकी क्षमताओं का बेहद कम आकलन कर सहानुभूति जताई जाने लगती है। ये दोनों तरीके दिव्यांग व्यक्तियों के मन-मस्तिष्क पर बेहद प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं।

इस बात को उदाहरण से समझें तो मान लीजिए कि कोई दिव्यांग बच्चा किसी सरकारी नौकरी के लिए सामान्य लोगों की तरह ही जी-तोड़ परिश्रम कर रहा है, तभी कोई व्यक्ति उसके परिश्रम की बढ़ा-चढ़ा कर सराहना भी करे और साथ में यह भी जोड़ दे कि उसे तो नौकरी मिल ही जाएगी, क्योंकि सरकार ने दिव्यांगों को कई तरह की रियायतें दे रखी हैं। यह बात कही तो सहानुभूतिवश ही जाएगी, मगर इसका प्रभाव यह होगा कि उस बच्चे को अपना सारा परिश्रम व्यर्थ लगने लगेगा और उसके अंदर यह भावना घर करने लगेगी कि वह समाज के अन्य लोगों से कटा हुआ है। (अनुसंधान १५ पृष्ठ पर...)

दिव्यांग वोटरों के लिए घर में मतदान व्यवस्था पर विचार कर रहा चुनाव आयोग

चुनाव आयोग दिव्यांगों को मतदान के लिए परेशानियों से न जूझना पड़े, इस पर विचार कर रहा है आयोग| दिव्यांगों के लिए घर से मतदान, गाड़ी की सुविधा, ब्रेल लिपि और पोस्टल बैलेट जैसी सुविधा दे सकता है दिव्यांगों को लाइन में न लगना पड़े इसके लिए सुबह तय समय से पहले भी मतदान करवाया जा सकता है आयोग की प्राथमिकता है कि दिव्यांगों के मत पूरी तरह से सुरक्षित हों और सुरक्षा व्यवस्था में कोई चूक न रहे|

चुनाव आयोग दिव्यांगों के लिए मतदान की व्यवस्था आरामदेह बनाने के लिए कुछ नए कदम उठा सकती है। आयोग शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों के लिए मतदान केंद्र तक आने और लाइन में लगने की परेशानी से बचने के लिए दूसरे वैकल्पिक माध्यमों पर विचार कर रही है। घर पर मतदान, पोस्टल वोट, मोबाइल पोलिंग स्टेशन और आने-जाने के लिए ट्रांसपॉर्ट की व्यवस्था करने जैसे उपायों पर आयोग विचार कर रहा है। इसके साथ ही मतदान केंद्र पर दिव्यांगों के लिए जल्दी मतदान करने और अग्रिम मतदान शुरू करने के उपाय शामिल हैं।

लाइन में लगने और इंतजार करने की परेशानी दिव्यांगों को न उठानी पड़े इसके लिए चुनाव आयोग मतदान शुरू होने से पहले दिव्यांगों के लिए वोटिंग की व्यवस्था करने के विकल्प पर विचार कर रहा है। शारीरिक अक्षमता वाले व्यक्तियों के लिए पोस्टल बैलेट का प्रयोग भी किया जा सकता है। इसके साथ ही हर निर्वाचन क्षेत्र में दिव्यांगों को मतदान केंद्र तक लाने के लिए विशेष वाहन का इंतजाम और मोबाइल पोलिंग स्टेशन बनाने जैसे विकल्प भी चुनाव आयोग की नजर में हैं।

चुनाव आयोग को इन विशेष सुविधाओं को इस्तेमाल करने के लिए चुनाव नियमों में कुछ संशोधन करने होंगे। चुनाव आयोग

की प्रतिबद्धता है कि मतों की पूरी सुरक्षा और निष्पक्षता का ख्याल रखते हुए ऐसे कदम उठाए जाएं ताकि अधिक से अधिक लोगों को मतदान की प्रक्रिया में भागीदार बनाया जा सके। पिछले सप्ताह ही चुनाव आयोग ने इस दिशा में कुछ बड़ी घोषणाएं की हैं।

दिव्यांग एथलीटों को देखकर मिली प्रेरणा : दीप ग्रेस

भारतीय महिला हॉकी टीम में अनुभवी डिफेंडर की भूमिका निभाने वाली ओडिशा की दीप ग्रेस एक्का को दिव्यांग एथलीटों को बिना किसी परेशानी के खेलते देख आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। वेबसाइट 'द ब्रिज' की रिपोर्ट के अनुसार, इसके साथ ही एक्का ने इस बात का खुलासा भी किया कि वह गोलकीपर बनना चाहती थीं।

इंडोनेशिया के जकार्ता में 18 अगस्त से शुरू होने वाले एशियाई खेलों के लिए भारतीय टीम में शामिल एक्का ने कहा, मैं ओडिशा के एक छोटे से गांव सुंदरगढ़ की निवासी हूं और शुरुआती दिनों में मुझे हॉकी के बारे में अधिक जानकारी नहीं थी। स्कूल में मैं हर खेल में हिस्सा लेती थी और जीत के बाद पुरस्कार मिलने पर बहुत खुशी होती थी।

इस दौरान हॉकी के लिए ट्रायल हुए और इसमें एक्का का चुनाव कर उन्हें सुंदरगढ़ में छात्रवास में भेज दिया गया। 2007 में वह भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) में शामिल हो गईं और राज्य स्तर पर खेलना शुरू कर दिया। 16 साल की उम्र में उन्होंने सोनीपत में सीनियर नेशनल्स में हिस्सा लिया।

एक्का ने कहा कि साई केंद्र में वह अन्य खेलों में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों के साथ रहती थीं। इसमें दिव्यांग एथलीट भी शामिल थे, जो शरीर के किसी एक अंग के न होने के बावजूद बिना किसी परेशानी के खेलते थे।

बकौल एक्का, एक हाथ या एक पैर न होने के बावजूद उनका हौंसला कायम था और वह अपने लक्ष्यों को हासिल करने की ओर अग्रसर थे। भगवान की कृपा से हम सही सलामत हैं। मैं हमेशा खुद को कहती थी कि अगर वे इतने अच्छे तरीके से खेल सकते हैं, तो हम क्यों नहीं? मेरे लिए उन्हें खेलते देखना एक उत्साहनजक अनुभव था और इससे मुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है।

साल 2011 में एक्का ने राष्ट्रीय खेलों में हिस्सा लिया और इसके बाद इसी साल उनका चयन जूनियर राष्ट्रीय शिविर में हो गया। कई टूर्नामेंट खेलने के बाद वह वरिष्ठ शिविर में शामिल हो गईं और सीनियर टीम का हिस्सा बन गईं।

एक्का ने कहा, मैंने डिफेंडर के रूप में करियर की शुरुआत की थी, लेकिन कहीं न कहीं मेरी इच्छा गोलकीपर बनने की थी। मेरा भाई मेरे साथ एक ही छात्रवास में था और वह गोलकीपर था। मेरे अंकल भी मेरे कोच थे, लेकिन उन्होंने मुझे गोलकीपर नहीं बनने दिया। इसलिए, मेरे पास कोई विकल्प नहीं था और मैंने डिफेंडर के रूप में ही खेलना जारी रखा।

संस्कृति यूनिवर्सिटी और पुनर्वास केन्द्र नि:शक्तों को सशक्त बना रहे है

मथुरा।

प्रकृति के सामने कहीं न कहीं हम सभी नि:शक्त हैं। आज के समय में नि:शक्त बच्चों को नि:शक्त मानने की बजाय उन्हें आत्मनिर्भरता का पाठ पढ़ाया जाना जरूरी है। नि:शक्त बच्चों को उनके जीवन यापन एवं समाज के योग्य बनाना सिर्फ सरकार का ही काम नहीं है बल्कि इस दिशा में समाज के समन्वित प्रयास की भी जरूरत है।

संस्कृति यूनिवर्सिटी के उप-कुलाधिपति राजेश गुप्ता का कहना है कि बच्चे किसी भी देश और समाज की पहचान होते हैं। इनकी मजबूती से ही राष्ट्र की मजबूती जुड़ी हुई है। हम कहते जरूर हैं कि बच्चे देश का भविष्य हैं लेकिन उनके भविष्य को लेकर उतना संजीदा नहीं हैं जितना हमें होना चाहिए। नि:शक्तों की बात की जाए तो हमारे देश की स्थिति काफी चिंताजनक है। हम देश को विश्व की महाशक्ति बनाने की बात तो करते हैं लेकिन नि:शक्तों को लेकर समाज का नजरिया सोचनीय है। यह ठीक वैसा ही है जैसे हम युद्ध जीतने की बात करें और हथियारों की ओर से आंखें मूंदे बैठे रहें।

दिव्यांग एवं पुनर्वास केन्द्र दिल्ली के अध्यक्ष मुकेश गुप्ता का कहना है कि हमारा देश आर्थिक समृद्धि की दिशा में तेजी से बढ़ रहा है लेकिन नि:शक्त बच्चों के हालात संतोषजनक नहीं कहे जा सकते। नि:शक्तों की भलाई के लिए ठोस योजना बनाने के साथ उस पर कड़ाई से अमल भी जरूरी है। जब देश में बाल मृत्यु दर कम करने, बाल सुधार और कुपोषण से मुक्ति के उपायों जैसे तमाम प्रयास किये जा रहे हों, ऐसे में सेरेब्रल पाल्सी से पीड़ित नि:शक्त बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में भी ठोस उपाय करने की जरूरत है।

नि:शक्तों को लेकर हमारे समाज का नजरिया कुछ भी हो, संस्कृति यूनिवर्सिटी और दिव्यांग एवं पुनर्वास केन्द्र दिल्ली के संयुक्त प्रयासों से फिलहाल सौ से अधिक नि:शक्त बच्चों को मुफ्त तालीम दी जा रही है। संस्कृति यूनिवर्सिटी का उद्देश्य दिव्यांगों को न केवल समाज की मुख्यधारा में एक नई पहचान देना है बल्कि उन्हें स्वावलम्बी बनाना भी है। संस्कृति विश्वविद्यालय के शांतिपूर्ण वातावरण में अलसुबह नि:शक्त बच्चों की न केवल किलकारियां गूंजती हैं बल्कि उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के भी प्रयास किए जा रहे हैं। संस्था द्वारा नि:शक्त छात्र-छात्राओं को शिक्षा-दीक्षा में पारंगत करने के लिए न केवल सुरम्य वातावरण मुहैया कराया गया है बल्कि प्राचार्य संतोष मौर्य की देखरेख में राहुल कुमार, जाकिर हुसैन, बृजेश शर्मा, अपूर्वा देसाई, प्रवीण जयसिंह, आशीष उपाध्याय, अदिति और चंचल कोशिश इन बच्चों के कौशल विकास पर सतत नजर रख रहे हैं। संस्था द्वारा बच्चों को लाने ले जाने की व्यवस्था तो नि:शुल्क है ही उन्हें ड्रेस तथा कापी-किताबें भी मुफ्त में उपलब्ध कराई जाती हैं। यहां बच्चे साक्षरता का पाठ पढ़ने के साथ ही मोमबत्ती, अगरबत्ती, मोती की माला, दीपक निर्माण आदि कार्य भी करते रहते हैं।

शिक्षिका अपूर्वा देसाई बताती हैं कि यहां छात्र-छात्राओं को

खेल, डांस, सांकेतिक भाषा, फिजियोथेरेपी, स्पीच थेरेपी आदि में भी दक्ष किया जाता है। फिलवक्त यहां अलीगढ़, पलवल, हाथरस, मथुरा आदि के 100 से अधिक नि:शक्त बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं। यहां जनपद मथुरा के नरी, सेमरी, छाता, बरौली, करौली, अकबरपुर, कोसीकलां, पैगामपुर, भदावल, लाडपुर, चैनपुरा, नगला देवी, नगला बिरजा, पिलौरा, बिलौठी, खायरा, रनवारी, दुताना, अजीजपुर आदि गांवों के नि:शक्त बच्चे भी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। यहां छात्र-छात्राओं को प्ले ग्रुप से वोकेशनल स्तर तक तालीम प्रदान की जाती है। यहां बी.एड. और डी.एड. स्पेशल की कक्षाएं भी संचालित हैं, जिनमें मथुरा जनपद ही नहीं देश के दूसरे राज्यों के छात्र-छात्राएं भी लाभान्वित हो रहे हैं।

रेलवे ने दीं दिव्यांग यात्रियों को कई सौगातें... जानिए क्या-क्या...

रेल प्रशासन ने ट्रेनों और सभी प्रमुख स्टेशनों मे दिव्यांगजनों के हित में अनेक सुविधाएं मुहैया कराई हैं। इसके तहत इस वर्ग के यात्री आत्मनिर्भर होकर सुविधायुक्त रेल यात्रा कर रहे हैं।

- सभी प्रमुख स्टेशनों में प्लेटफार्म में प्रवेश के लिए विशेष रूप से दिव्यांग फ्रेंडली रेम्प तैयार किए गए हैं, जिसकी मदद से आसानी से प्लेटफ़ॉर्म मे प्रवेश कर सकते हैं। सभी रैम्प स्टेशन के सामने पहुंच मार्ग से जुड़े हुए बनाए गए हैं।
- इनकी सुविधा को ध्यान मे रखते हुए एक प्लेटफ़ॉर्म से दूसरे प्लेटफ़ॉर्म मे आने एवं जाने के लिए फुट ओवरब्रिज में भी रैंप बनाए गए हैं साथ ही लिफ्ट एवं एस्केलेटर की सुविधा भी उपलव्ध कराई गई है।
- इनकी सुविधा हेतु बैटरी चलित कार की सुविधा प्लेटफ़ॉर्म में आवागमन आसानी से किया जा सकता है।
- स्टेशनों में दिव्यांगो के वाहन के अलग से पार्किंग व्यवस्था की गई है।
- विशेष प्रकार के टिकट खिड़की भी उपलब्ध कराई गई है जिसके ज़रिए किसी की मदद के बगैर इस सुविधा का उपयोग करते हुए दिव्यांग यात्री रेलवे टिकट प्राप्त कर अपना सफर कर सकते है।
- दिव्यांग यात्रियों की सुविधा को ध्यान मे रखते उनके लिए विशेष रूप के शौचालय बनाये गए है।
- दृष्टि बाधित दिव्यांग यात्रियों की सुविधा के लिए हर आने-जाने वाली गाड़ी की सूचना, कोचों की स्थिति आदि की उद्घोषणा की जाती है।
- स्टेशन मे शीतल पेय जल प्राप्त करने के लिए अलग से विशेष प्रकार से बने ड्रिंकिंग वोटर काउंटर भी मुहैया कराई गई है।
- दिव्यांगो की सुविधा को ध्यान मे रखते हुए व्हील चेयर एवं स्ट्रेचर की निःशुल्क व्यवस्था की गई है।
- इसके अलावा मंडल के प्रमुख स्टेशनों एवं मंडल आधारित गाडियों के 273 कोचों में दृष्टि बाधित यात्रियों की सुविधा के लिए ब्रेललिपि संकेतक लगाए हैं। इन संकेतकों के माध्यम से दृष्टिबाधित व्यक्तियों को टॉयलेट, फुट ओवर ब्रिज, वेटिंग हॉल, वाटर बूथ, खानपान सुविधा इत्यादि की सटीक जानकारियां मिलती हैं।

दिव्यांगों का सहारा बनने वाले होंगे पुरस्कृत

विश्व दिव्यांग दिवस पर 12 श्रेणियों में राज्य स्तरीय पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। तय श्रेणियों में दक्ष दिव्यांग कर्मचारी अथवा स्वनियोजित, सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी व सृजनशील दिव्यांग जनों के साथ ही ऐसे लोगों को भी पुरस्कार के लिए चुना जा सकता है, जिन्होंने दिव्यांगों के जीवन की कठिनाइयों को दूर करने में सर्वश्रेष्ठ भूमिका निभाई है। इसके लिए जिला स्तर पर आवेदन तीस जुलाई तक जमा होंगे। तीन दिसबंर को विश्व दिव्यांग दिवस मनाया जाता है। इसी दिन इन राज्य पुरस्कारों का वितरण लखनऊ में आयोजित समारोह में होगा। जिले से पांच लोगों अथवा संस्थाओं को चयनित करके डीएम की संस्तुति के साथ दिव्यांग सशक्तिकरण निदेशालय में भेजा जाना है। अंतिम रूप से चयन निदेशालय में ही किया जाएगा। राज्य पुरस्कार के लिए ये हैं श्रेणियां...

- दक्ष दिव्यांग कर्मचारी अथवा स्वनियोजित
- दिव्यांग जनों के लिए सर्वश्रेष्ठ नियोक्ताओं, प्लेसमेंट अधिकारियों या एजेंसी
- दिव्यांग जन के जीवन को सुधारने के निमित्त सर्वश्रेष्ठ नवीन अनुसंधान या नव प्रवर्तन अथवा उत्पाद विकास
- दिव्यांग जन के लिए बाधा मुक्त वातावरण के सृजन के लिए सर्वश्रेष्ठ कार्य करने वाला
- दिव्यांग जनों को पुनर्वास सेवाएं प्रदान करने वाला सर्वश्रेष्ठ जिला
- सर्वश्रेष्ठ सृजनशील दिव्यांग जन
- सर्वश्रेष्ठ ब्रेल लिपि
- दिव्यांग जन के लिए सर्वोत्तम अनुकूल वेबसाइट
- सर्वश्रेष्ठ दिव्यांग खिलाड़ी
- दिव्यांग जन के सशक्तिकरण के लिए कार्यरत अधिकारी-कर्मचारी

(पृष्ठ ९ से आगे...)

अत: आदर्श स्थिति यह है कि सहानुभूतिवश न तो दिव्यांगों के सामान्य प्रयत्नों की बढ़ा-चढ़ा कर सराहना ही की जाए और न ही उनकी क्षमताओं को जाने-समझे बिना उनकी स्थिति पर चिंता ही प्रकट की जाए। सहानुभूति की समस्या से इतर, बहुत-से असंवेदनशील लोग तो अब भी दिव्यांगों का मजाक बनाने और उन्हें हतोत्साहित करने से नहीं चूकते। यों तो ये भिन्न-भिन्न मानसिकताएं हैं, पर इनमें एक बात समान है, ये दिव्यांगों को आत्मविश्वास अर्जित करने और समाज में सहजता से घुलने-मिलने में बाधक बनती हैं।

हमें समझना होगा कि दिव्यांगजनों की कुछ क्षमताएं सीमित भले हों, पर अगर उन्हें समाज और सरकार दोनों से संबल और सहयोग मिले तो वे न केवल जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफलता अर्जित कर सकते हैं बल्कि अपने देश और समाज की प्रगति में सक्रिय भागीदार भी बन सकते हैं।

वॉइस टू
दिव्यांग

उम्मीदों की नई उड़ान को तैयार हैं दिव्याँग

संतश्री ॐऋषिने एक भगीरथ कार्य को अपनी समाज प्रति जिम्मेदारी समजकर हाथ में लिया है, वह है भारत की सबसे पहली दिव्यांग यूनिवर्सिटी का सपना। बहोत बड़ा कार्य आकारित होने जा रहा है।

यह सपना मैंने क्यों देखा ?

उत्तर है, की भारत के हर दिव्यांग के इरादे मजबूत करना, उनको स्वावलंबित बनाना,

दिव्याँगजनों को लेकर वर्षों से जो सपना हमने अपनी आंखों में सजाकर रखा था, उस सपने को अब उसका आसमान मिलने वाला है। भारत में जल्द ही दिव्याँगजनों की तमाम ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण किया जाने वाला है, जिससे ना सिर्फ दिव्याँगों के हौंसलों को ताकत मिलेगी बल्कि उनके आने वाले कल को भी संवारा जा सकेगा।

गुजरात में बहुत जल्द देश की पहली ऐसी यूनिवर्सिटी का निर्माण किया जाने वाला है जहां दिव्याँगों की पढ़ाई से लेकर उनके रोज़गार तक की व्यवस्था का ख्याल रखा जाएगा। इस पहल के ज़रिए उन्हें बेहतर शिक्षा व स्वास्थ्य सुविधाएं तो प्रदान की ही जाएंगी, लेकिन साथ ही साथ उन्हें स्वावलंबी बनाने की कोशिशों को भी अंजाम दिया जाएगा। इतना ही नहीं, कौशल विकास तथा अन्य विशेष प्रकार की ट्रेनिंग आदि को भी तवज्जो दी जाएगी ताकि दिव्यांगजन एक सशक्त जीवन जी सकें।

जैसा कि हम सभी इस बात से वाकिफ हैं कि दिव्याँगों के लिए रोज़गार हासिल करना सबसे बड़ी समस्या है। सरकार ने इस पहलू को भी गंभीरता से लिया है और इसी के मद्देनज़र दिव्याँगों को रोज़गार तथा स्वरोज़गार के अवसर मुहैया कराने का प्रयास करने का निर्णय भी लिया है।

ज्ञात हो कि कुछ समय पहले दिल्ली में “इंक्लूज़िव इंडिया” नाम से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था जिसमें दिव्याँगों की स्थिति को सुधारने को लेकर कई अहम मुद्दों पर प्रकाश डाला गया था। आज आवश्यकता है कि हम उन बातों को और भी अधिक गंभीरता से लें और दिव्याँगों के लिए एक ऐसा वातावरण निर्मित करें जिससे उनके उज्ज्वल भविष्य की मज़बूत नींव रखी जा सके।

यदि इस पहल में निजी संस्थाएं और संगठन बढ़-चढ़कर हिस्सा लें तो शायद दिव्याँगजनों के भविष्य को और भी अधिक सुदृढ़ता प्रदान की जा सकती है। साथ ही उन्हें सामान्य लोगों की तरह जीवन जीने के लिए प्रेरित किया जा सकता है।

~ संतश्री ॐऋषि प्रितेशभाई